न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:—39/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00019)

1. विजेन्द्र पुत्र रूप सिंह जाति जाट, निवासी ग्राम दसूसर पटवार क्षेत्र हल्का प्रतापुपरा, बग्गड झुन्झुनू तहसील व जिला झुनझुनु, राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. तहसीलदार झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. पटवार मण्डल प्रतापुपरा, राजस्व ग्राम देसूसर (बग्गड़) तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान जरिये हल्का पटवारी।
4. ग्राम पंचायत प्रतापपुरा, पंचायत समिति झुन्झुनू जरिये सरपंच अनारदेवी

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 09.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 19.05.2017 (प्रकरण संख्या 63/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 22, 223 का प्रार्थी अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही तहसीलदार झुन्झुनू ने पटवार मण्डल प्रतापपुरा ग्राम देसूसर बग्गड़ तहसील झुन्झुनू के सम्बन्ध में रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान—2016 के अन्तर्गत'' राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने बाबत जो प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू को दिनांक 08.03.2017 को प्रेषित किया एवं जिस पर उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.05.2017 के द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है, वह आदेश अधीन अपील पूर्णतया एकपक्षीय क्षेत्राधिकार विहिन व न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु तहसीलदार झुन्झुनू की सिफारिश पर अपीलान्ट खातेदार को उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से वंचित करते हुये उसमें से आम रास्ता व राजस्व रिकार्ड में बिना उन्हे सुने ही दर्ज किये जाने की जो आज्ञा पारित की गई है, वह सरासर क्षेत्राधिकार विहिन एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.02. 2019 को उस समय हुई जब ग्रामवासी उनकी फसल को नुकसान पहूँचाने

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

लगे तथा उनके खेत के मध्य से आवागमन हेतु रास्ता निकालने की कार्यवाही करने लगे तथा हल्का पटवारी ने कहा कि तुम्हारे खेत में से तो सन् 2017 में ही उपखण्ड अधिकारी ने रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये है जिस पर अपीलान्ट ने झुन्झुनू आकर अभिभाषक से मिलकर उक्त आदेश के बारे में पता लगाने का निवेदन किया तो पता चला कि तहसीलदार झुन्झुनू की सिफारिश एवं प्रार्थना पत्र पर दिनांक 19.05.2017 को ही राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी ने पारित कर दिये थे जिस पर अपीलान्ट ने उक्त निर्णय उपखण्ड अधिकारी दिनांक 19.05.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु एवं अन्य राजस्व दस्तावेजात नक्शा जमाबन्दी की नकले प्राप्त करने की कार्यवाही की एवं सभी नकले आदि प्राप्त कर जयपुर आकर अपील करने हेतु वकील से सम्पर्क किया, इस प्रकार उक्त अपील पेश करने में हुआ विलम्ब अपीलान्ट की लापरवाहीवश नही बल्कि सद्भावनावश अपीलान्ट को जानकारी नही होने से एवं सुनवाई का अवसर व नोटिस नही दिये जाने से हुआ है जो न्यायहित में उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुयं क्षमा फरमाया जावें एवं अपील को जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जावें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 को निरस्त फरमाया जावें एवं प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों एवं कानूनी प्रक्रियाओं की पालना करते हुये निर्णित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिपेषित फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में वर्णित गैर मुमकिन रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की सम्बन्धित ग्राम पटवारी, पटवार मण्डल प्रतापपुरा द्वारा एक रिपोर्ट में उक्त भूमि को गैर मुमकिन चारागाह खसरा नम्बर 217 वगैरह से होते हुऐ आर्दश नगर तक का रास्ता रिकार्ड में दर्ज बताकर रास्ता दुरूस्तीकरण व ग्रेवल सड़क में कोई आपत्ति दर्ज नही करके रिपोर्ट दिनांक 13.06.2018 को संलग्न नक्शा प्रस्तुत की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि राज्य सकरार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत वर्ष 2018–19 के लिए दिशा निर्देश क्रमांक एफ–40(63)ग्रा.वि.नरेगा/कन्वर्जन्स–जनरल/पार्ट–2/2015 दिनांक 16.07.2015 को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदेश 08 के अनुसरण में एवं उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 19.05.017 में वर्णित खसरान की भूमि पर ग्राम देसूसर से आर्दश नगर कच्चे रास्ते पर रास्ता दुरूस्तीकरण व ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति ग्राम पंचायत प्रतापपुरा पचांयत समिति झुन्झुनू कार्यकारिणी अधिकरण को प्रदान की गई जिसके तहत सहायक अभियंता पंचायत समिति झुन्झुनू द्वारा मानचित्र में दिये परिणामों को ध्यान में रखते हुए यर्थात में गणना कर मात्रा निकाली है, विशेष विवरण तथा दरों की सत्यता की जॉच कर लिया गया, प्रस्ताव के निर्दिष्ट सिद्धान्त बनावट की ठोसता एवं कार्य की उपयोगिता को कार्य स्थल का

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निरीक्षण कर निर्माण की संभावना को सुनिश्चित करते हुए एक स्वीकृति पत्र क्रमांक 38 दिनांक 29.06.2018 को जारी किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की देखरेख में उक्त कार्य को किया जा रहा है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा झूठ एवं मिथ्या आधारों पर उपरोक्त अपील प्रस्तुत कर आमजन की सुविधा हेतु किये जा रहे सड़क निमर्ण को बाधित कर दिया गया है जिसे जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न रास्ते से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 सर्वे रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ नयायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(के0सी0वर्मा)
सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।